मतगणना हस्तपुस्तिका

(जहाँ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें प्रयुक्त की जाएंगी)

नगरपालिका निर्वाचन, 2017

प्रस्तावना

नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् मतों की गणना का महत्त्वपूर्ण कार्य करना है। मतों की गणना निर्वाचन प्रक्रिया की चरम परिणति की दिशा में अंतिम चरण है। मतों की निष्पक्ष, सन्तोषजनक और उचित गणना द्वारा ही निर्वाचकों की पसंद का सही अभिनिश्चय किया जा सकता है, तथा निर्वाचन परिणाम घोषित किया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु यह आवश्यक है कि मतगणना कार्य से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को संबंधित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत मतगणना प्रक्रिया की पूरी जानकारी रहे और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अनुदेशों एवं निदेशों से भी वे पूर्णतः अवगत हों। अनुदेश पुस्तिका इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किये गये प्रयास का प्रतिफल है।

आशा की जाती है कि यह पुस्तिका मतगणना कार्य से संबद्ध सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उनके दायित्त्वों के कुशल निर्वहन में सहायक सिद्ध होगी।

(अशोक कुमार चौहान)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
बिहार, पटना।

अनुक्रमणिका

भाग–1

मतगणना संचालन

अध्याय	विशिष्टियाँ	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य	1
2.	गणन अभिकर्त्ता	2
3.	मतगणना हॉल में अनुशासनिक व्यवस्था	4
4.	मतगणना मेजों की घेराबंदी	5
5.	मतदान की गोपनीयता बनाए रखना	6
6.	कंट्रोल यूनिट की सील की जाँच एवं इसे खोलना	6
7.	इ.वी.एम. द्वारा मतों की गणना एवं परिणाम अभिनिश्चित् करना	7
8.	रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा के भाग-2 को पूरा करना एवं अन्तिम परिणाम का संकलन	9
9.	परिणाम की घोषणा एवं इ.वी.एम. कन्ट्रोल यूनिट को डाटा मुक्त करना	10
10.	पुनर्गणना	11
11.	नए सिरे से मतदान की दशा में मतगणना स्थगित करना	12
12.	लॉटरी निकालने की प्रक्रिया	12
13.	निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करना	14

भाग–2

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विशिष्टियाँ	पृष्ठ संख्या
I.	बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के संगत नियमों का उद्धरण	17
II.	प्रपत्र-17 - गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति	19
III.	प्रपत्र-17 (क) - गणन अभिकर्त्ता पहचान पत्र	20
IV.	रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग-1 एवं भाग-2	21
V.	अंतिम परिणाम प्रपत्र	23
VI.	सूचना	24
VII.	प्रपत्र-25 - निर्वाचन प्रमाण पत्र	25

अध्याय - 1
सामान्य

मतदान के पश्चात मतों की गणना तथा उसके आधार पर निर्वाचन का परिणाम घोषित करना निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम दौर है, जो निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतों की गणना में किसी प्रकार की भूल होने की स्थिति में मतदान का परिणाम भी दूषित हो जाता है। अतएव, यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा मतों की गणना से संबंधित अन्य सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी मतगणना की प्रक्रिया के बारे में सम्यक रूप से अवगत रहें।

2. मतों की गणना तथा उसका परिणाम घोषित करने के बारे में बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 57, 58 एवं 79 से 87 तक में प्रावधान किए गए हैं। इनके अधिकांश भाग मतपत्रों से मतदान के दृष्टिगत बनाये गए हैं। वर्तमान नगरपालिका निर्वाचन इ.वी.एम. से कराया जा रहा है, अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमावली के नियम 85 के प्रावधानों के तहत् इ.वी.एम. से मतदान की स्थिति में मतगणना की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसका जिक्र आगे के अध्यायों में किया गया है। सहज प्रसंग के लिए नियमावली के उपर्युक्त नियमों का उद्धरण **परिशिष्ट-I** में दिया गया है। यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा मतों की गणना से संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों का अध्ययन ध्यान से करें, ताकि मतों की गणना के दौरान किसी प्रकार की शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहने पाए।

3. मतगणना का स्थान

इ.वी.एम. में रिकार्ड किए गए मतों की गणना उम्मीदवारों और/ या उनके अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित स्थान, तारीख एवं समय पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जाएगी।

4. इ.वी.एम. से मतगणना परिचालन का क्रम

मतगणना (COUNTING)

— बाहरी पेपर "STRIP SEAL" हटाऐं। सील हटाते हुए रजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे को खोलें।

— "SPECIAL TAG"को **न** हटाएं तथा भीतरी दरवाजे को **न** खोले।

— कंट्रोल यूनिट का स्विच "ON" करें।

— "RESULT" बटन के ऊपर की पेपर सील को छेद दें।

— "RESULT" बटन को दबाऐं। **डिस्प्ले पैनल** पर रिजल्ट का प्रदर्शन होगा।

— प्रदर्शन पश्चात् कंट्रोल यूनिट का **स्विच ऑफ** करें।

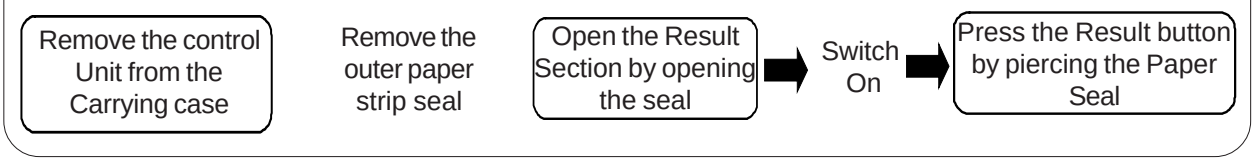

5. मतगणना सामग्री

मतगणना पटल पर मुख्यतः निम्नलिखित निर्वाचन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी व्यवस्था पहले से ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यथेष्ट मात्रा में सुनिश्चित कराई जाएगी :-

(1) बॉल पेन (ब्ल्यू या ब्लैक),
(2) चाकू या ब्लेड,
(3) सादा कागज,
(4) रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग-2 (**परिशिष्ट–IV**),
(5) अंतिम परिणाम प्रपत्र (**परिशिष्ट–V**),
(6) सीलिंग मेटेरियल (लाह), मोमबत्ती, मेटलसील (R), सीक्रेट सील, गौज का लिफाफा इत्यादि,
(7) कुर्सी, टेबुल एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री
(8) प्रत्येक टेबल पर पैड या कूट का गत्ता।

6. प्रपत्र – बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 2 (ज) में `प्रपत्र' को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

``प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली में उपवर्णित प्रपत्र, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार परिवर्त्तन किया जा सकता है।''

उक्त प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन, 2012 में मतगणना सम्पन्न कराने हेतु कुछ प्रपत्रों को निर्धारित किया गया है एवं कुछ में आवश्यक संशोधन किया गया है, जिसका उल्लेख आगे के अध्यायों में किया गया है।

अध्याय – 2
गणन अभिकर्त्ता

1. गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

(क) गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा की जाएगी। ऐसी नियुक्ति बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, **2007 के नियम 57 में उल्लिखित प्रपत्र–17 (परिशिष्ट–II) में की जाएगी।** गणन अभिकर्त्ता का नाम एवं पता उस प्रपत्र में भरा जाएगा और अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता उस प्रपत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करेगा। गणन अभिकर्त्ता भी उस प्रपत्र पर नियुक्ति की अपनी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करेगा। उस प्रपत्र की एक प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को अग्रसारित की जाएगी, जबकि दूसरी प्रति गणन अभिकर्त्ता को दी जाएगी; जो उसे निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। गणन अभिकर्त्ता निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र में अन्तर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। आपात स्थिति यथा देर तक लगातार मतगणना चलते रहने से मानसिक एवं शारीरिक थकान, शारीरिक रूग्णता इत्यादि के कारण नियुक्त मतगणना अभिकर्त्ता के स्थान पर किसी दूसरे गणन अभिकर्त्ता को नियुक्त करने की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी दे सकते हैं। ऐसी नियुक्ति प्रपत्र-17 में ही की जायेगी एवं उस पर लाल स्याही से `प्रतिस्थानी गणन अभिकर्त्ता' लिख दिया जायेगा।

(ख) नगरपालिका चुनाव में वोटिंग मशीनों का उपयोग होने जा रहा है, अतः वोटिंग मशीन के माध्यम से निर्वाचनों के संचालन के लिए विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अद्यतन स्थिति से गणन अभिकर्त्ता को पूर्णतः अवगत हो लेना चाहिए। वोटिंग मशीनों के परिचालन से भी उनको अवश्य अवगत हो लेना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निर्वाची

पदाधिकारी द्वारा आयोजित वोटिंग मशीन के प्रदर्शन में उन्हें भाग लेना चाहिए, जहाँ वोटिंग मशीन के काम-काज एवं परिचालन की प्रक्रिया दिखायी एवं समझाई जाएगी।

2. गणन अभिकर्त्ता के लिए अर्हताएँ

(क) गणन अभिकर्त्ताओं के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई विनिर्दिष्ट अर्हताएँ चिह्नित नहीं की गयी हैं, किन्तु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि **वे अपने अभिकर्त्ता के रूप में यथासंभव प्रौढ़ और अनुशासित व्यक्तियों को नियुक्त करें जिससे कि उनके हितों की समुचित देखभाल हो सके। परन्तु, किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करें जिनका अपराधिक इतिहास हो और नियुक्ति आवेदन में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अंकित कर दें।**

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार सुरक्षाकर्मियों को मतगणना कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मतगणना कक्ष से तात्पर्य पूरा वह परिसर है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतगणना के हित उपयोग में लाया जा रहा हो। इसलिए, केन्द्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री अथवा सांसद या विधायक, जिन्हें सरकारी खर्च पर सुरक्षा कवच उपलब्ध हो, को निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि, उसे न तो अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है और न ही बिना किसी सुरक्षा कवच के मतगणना कक्ष में उसे प्रवेश की अनुमति देकर उसकी सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है।

(ग) कोई सरकारी सेवक किसी अभ्यर्थी के गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यदि वह इस प्रकार का कार्य करता है, तो वह अधिनियम की धारा 466 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से, दंडनीय होगा।

3. नियुक्त किए जाने वाले गणन अभिकर्त्ताओं की संख्या

अभ्यर्थी या उसके द्वारा नियुक्त निर्वाचन अभिकर्त्ता अपने वार्ड के लिए एक ही गणन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकते हैं, चाहे उस वार्ड में मतदान केन्द्रों/मतगणना मेजों की संख्या एक से अधिक ही क्यों न हो। मतगणना कक्ष में एक वार्ड के लिए अगर मतगणना मेजों की संख्या एक से ज़्यादा रखी गयी हैं, तो उनमें से प्रत्येक मेज पर अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु एक मेज पर इनमें से एक ही कोई उपस्थित रहेगा न कि तीनों।

4. गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति करने के लिए समय सीमा

(क) आयोग का निदेश है कि उम्मीदवार अपने गणन अभिकर्त्ता की सूची एवं उनकी फोटो (दो प्रति में) मतों की गणना के लिए नियत तारीख से तीन दिन पूर्व संध्या पाँच बजे तक निर्वाची पदाधिकारी को भेज देंगे। इसे पुनः दोहराया जा रहा है कि मतगणना से तीन दिन पूर्व संध्या 5 बजे तक दे देंगे, एवं उसके पश्चात ऐसे आवेदन को स्वीकार करने हेतु आयोग की लिखित अनुमति ली जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक अभिकर्त्ता के लिए विहित प्रपत्र -17(क) (परिशिष्ट-।।।) में पहचान-पत्र तैयार करेगा और अभ्यर्थी को निर्गत करेगा।

(ख) जब मतगणना में भाग लेने के लिए गणन अभिकर्त्ता आएँ, तब अपने नियुक्ति-पत्र सहित पहचान-पत्र को अवश्य प्रस्तुत करें। **मतगणना अभिकर्त्ता अपने पहचान पत्र को बैज के रूप में प्रयोग करेंगे।**

(ग) मतगणना के लिए नियत समय से कम-से-कम एक घंटा पूर्व गणन अभिकर्त्ता पहचान-पत्र के साथ अपना नियुक्ति-पत्र निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें। निर्वाची पदाधिकारी ऐसा कोई नियुक्ति-पत्र

स्वीकार नहीं करेगा जो पूर्वोक्त समय के बाद प्राप्त हुआ हो। यदि ऐसी परिस्थिति हो, तो उसके लिए प्रेक्षक की लिखित अनुमति प्राप्त की जाएगी।

5. गणन-अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण (revocation)

(क) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता किसी गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करने के लिए प्राधिकृत है।

(ख) नियुक्ति का इस प्रकार प्रतिसंहरण बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के **नियम-58** के अधीन किया जाएगा, तथा वह उस समय से लागू होगा जब वह निर्वाची पदाधिकारी के पास दाखिल कर दिया जाता है। ऐसे किसी मामले में अभ्यर्थी ऐसे किसी गणन अभिकर्त्ता, जिसकी नियुक्ति प्रतिसंहृत कर दी गई हो, के स्थान पर दूसरा गणन अभिकर्त्ता मतगणना आरंभ होने के पूर्व किसी समय नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(ग) नये गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति, उसी रीति से की जाएगी जो पूर्व में स्पष्ट की गई है। परन्तु, इस हेतु प्रेक्षक की कारणों सहित लिखित अनुमति ली जाएगी। ऐसे कारणों की पूर्ण जाँचकर प्रेक्षक इस संबंध में पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो कर ही लिखित अनुमति देंगे और ऐसी लिखित अनुमति की एक प्रति आयोग को अविलम्ब फैक्स से भेजेंगे।

6. मतगणना हॉल में गणन अभिकर्त्ताओं का प्रवेश

(क) निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात गणन अभिकर्त्ता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने नियुक्ति पत्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखने से सम्बंधित घोषणा पर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करे। नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और घोषणा का सत्यापन करने के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी गणन अभिकर्त्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा।

(ख) मतगणना-हॉल में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक गणन अभिकर्त्ता की सुरक्षा नियमों के अधीन तलाशी ली जानी है, और इस हेतु पुलिस अधीक्षक अलग से मतगणना हेतु समुचित जिला आदेश निर्गत कर fool proof व्यवस्था करायेंगे।

अध्याय-3
मतगणना हॉल में अनुशासनिक व्यवस्था

(क) प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह मतगणना-हॉल के भीतर सख्त अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने में निर्वाची पदाधिकारी के साथ पूरा सहयोग करे। उन्हें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन करना चाहिए। उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि **निर्वाची पदाधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को मतगणना हॉल के बाहर कर सकेगा, जो उसके निदेशों का उल्लंघन करेगा।**

(ख) किसी गणन अभिकर्त्ता एवं अन्य व्यक्ति को मतगणना हॉल के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, जब एक बार गणन अभिकर्त्ता एवं अन्य व्यक्ति मतगणना हाल के भीतर हों, तो परिणाम घोषणा के बाद ही उन्हें सामान्यतः बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पेयजल, नाश्ता, प्रसाधन आदि से सम्बद्ध सभी युक्तियुक्त सुविधाएँ मतगणना हॉल के पास उपलब्ध कराई जाएँगी, जिसे अभ्यर्थी या उनके गणन अभिकर्त्ता भुगतान के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। परन्तु, पेयजल एवं प्रसाधन व्यवस्था निःशुल्क रहेगी।

(घ) मतगणना हॉल के भीतर धूमपान पूरी तरह से वर्जित है एवं ऐसा करने वालों को हॉल से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और उन पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी पुलिस को आदेश दे सकेगा।

(ङ) मतगणना कक्ष के आस-पास भीड़ का जमाव न होने दें।

(च) मतगणना कक्ष के आस-पास शोर-शराबा/नारेबाजी करने एवं किसी द्वारा भी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है। लाउडस्पीकर का उपयोग निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी की ओर से चुनाव परिणाम की घोषणा के निमित्त किया जाएगा।

(छ) अस्थाई संरचना (शामियाना आदि) की हालत में खुले तार (नॉन इन्सुलेटिड) से वायरिंग नहीं की जानी चाहिए। इस संबंध में मतगणना से पूर्व भवन निर्माण विभाग के अभियन्ता द्वारा जाँचोपरान्त प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(ज) अस्थाई संरचना के समीप या भीतर चाय आदि बनाने के लिए किसी भी रूप में अग्नि नहीं जलानी चाहिए।

(झ) किसी भी मतगणना कर्मी एवं अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता को नशे की हालत में मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करने दें। जो भी व्यक्ति नशे के हालत में पाए जायेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी एवं उन पर निर्वाचन कार्यों में बाधा डालने की सुसंगत धारा अन्तर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय–4
मतगणना मेजों की घेराबंदी

मतगणना मेजों की संख्या

आयोग चाहता है कि नगर निगमों को छोड़कर राज्य की सभी नगरपालिकाओं के लिए मतगणना हॉल में **एक वार्ड के लिए एक ही मतगणना टेबल पर मतगणना सम्पन्न करायी जाय।** निर्वाची पदाधिकारी हॉल की क्षमता के अनुसार मतगणना टेबल की संख्या निर्धारित करेंगे। एक टेबल पर एक वार्ड की मतगणना समाप्त हो जाने के पश्चात् उस पर दूसरे वार्ड की मतगणना शुरु की जा सकेगी। नगर निगमों में एक वार्ड में अगर 12 से ज्यादा मतदान केन्द्र स्थापित हैं, तो ऐसे वार्डों के लिए एक से अधिक मतगणना दल द्वारा एक से अधिक टेबल पर मतगणना सम्पन्न करायी जायेगी। निर्वाची पदाधिकारी मतगणना को अधिक सुगम बनाने हेतु आवश्यकतानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की अनुमति एवं प्रेक्षक से लिखित स्वीकृति लेकर उक्त व्यवस्था में परिवर्तन कर सकेंगे।

एक वार्ड के मतों की गणना एक ही टेबल पर होने की स्थिति में अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभकर्त्ता एवं मतगणना अभिकर्त्ता में से एक ही व्यक्ति मतगणना हॉल में एक समय उपस्थित रहेंगे एवं उक्त वार्ड की मतगणना समाप्त हो जाने तथा रिकॉर्ड किये गये मतों के लेखा भाग-2 (परिशिष्ट-IV) पर हस्ताक्षर करने के पश्चात वे बाहर चले जायेंगे तथा उस मेज पर अगर दूसरे वार्ड की मतगणना शुरु होती है, तो उस वार्ड के अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता उपस्थित होंगे। एक मतगणना टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक एवं उनकी सहायता हेतु दो सहायक रहेंगे।

मतगणना मेजों की घेराबंदी व्यवस्था

प्रत्येक मतगणना हॉल में मतगणना मेज की घेराबंदी की समुचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि गणन अभिकर्त्ताओं द्वारा वोटिंग मशीनों को छुआ (Touch) नहीं जा सके, किंतु गणन अभिकर्त्ताओं को मतगणना मेज पर

चल रही पूरी मतगणना प्रक्रिया को देखने की सभी युक्तियुक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। निर्वाची पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि घेराबंदी पारदर्शी हो अथवा घेराबंदी के प्रयोजनार्थ उपायों में लाए जाने वाले बाँसों या अन्य सामग्रियों को, बीच में या ऊपर इतने फासले पर रखा जाए कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह दिखाई पड़े। घेराबंदी करने का सही तरीका व्यवस्थित करने का उत्तरदायित्त्व जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का होगा, परन्तु ऐसी व्यवस्था का अनुमोदन प्रेक्षक द्वारा आवश्यक जाँचोपरान्त आयोग के दिशानिदेशों के अनुकूल पाये जाने के पश्चात प्राप्त किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन की प्रति आयोग को अविलम्ब दी जाएगी।

अध्याय-5
मतगणना की गोपनीयता बनाए रखना

विधि के अनुसार मतगणना हॉल के अन्दर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से मतों की गोपनीयता बनाए रखने और बनाए रखने में सहायता करने की अपेक्षा की जाती है, और उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई सूचना नहीं देगा, जिसे गोपनीयता भंग करना माना जाए। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में विधि के उपबंधों का उल्लघंन करने वाला कोई भी व्यक्ति तीन माह के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। इस संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 458 का उद्धरण निम्नवत है :-

"**मतदान की गोपनीयता बनाए रखना** – (1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति, **जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा,** और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।"

(2) कोई व्यक्ति जो उप धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्याय-6
कंट्रोल यूनिट की सील की जाँच एवं इसे खोलना

1. कन्ट्रोल यूनिट की प्रत्येक वहन-पेटी जैसे ही मतगणना मेज पर लाई जायेगी, वैसे ही मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस पर लगाई गयी सीलों की जाँच की जायेगी। उसके पश्चात मतगणना मेज पर मौजूद गणन अभिकर्त्ताओं को बाहरी स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, पेपर सील एवं ऐसी अन्य महत्वपूर्ण सीलों, जो वहन पेटी और कंट्रोल यूनिट पर लगाई गई हो, का निरीक्षण करने और अपना यह समाधान कर लेने की अनुमति दी जाएगी कि सील अक्षुण्ण हैं, तथा कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। **यदि यह पाया जाए कि किसी कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उस मशीन में दर्ज किए गए मतों की गणना नहीं की जाएगी और इस मामले की रिपोर्ट आयोग को निदेश देने हेतु की जाएगी।**

2. किसी स्थिति में वहन-पेटी की सील अक्षुण्ण न होने पर भी उसमें रखी गई कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई मानी जाएगी, यदि उस कन्ट्रोल यूनिट पर लगी सील, विशेषकर उसकी पेपर सील अक्षुण्ण हो। वहन पेटी की सील की जाँच के पश्चात वहन-पेटी खोली जाएगी और कंट्रोल यूनिट बाहर निकाली जाएगी।

3. प्रत्येक कंट्रोल यूनिट ज्योंही वहन-पेटी से बाहर निकाली जाए, इसकी क्रम संख्या की जाँच की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वही कंट्रोल यूनिट है, जो उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए आपूरित की गई थी। इसके बाद मतदान केन्द्र पर मशीन की आपूर्ति के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कैंड सेट भाग पर लगाई गई सील तथा मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा `परिणाम-भाग' के बाहरी आवरण पर लगाई गई सील की जांच की जाएगी। इनमें से कोई सील अक्षुण्ण न होने पर भी कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई मानी जाएगी, यदि परिणाम भाग के भीतरी आवरण पर लगाई गई पेपर सील अक्षुण्ण हो।

4. परिणाम-भाग का बाहरी आवरण(कवर) खोलने के बाद स्पेशल टैग सील और पीठासीन पदाधिकारियों की सील से सील किया गया भीतरी आवरण दिखाई पड़ेगा। परिणाम- भाग के भीतरी आवरण में एक पेपर सील इस प्रकार लगाई गई होगी कि इसके दोनों मुक्त छोर उस भीतरी खानों के पार्श्व से बाहर निकले रहें जिसमें परिणाम-बटन लगे रहते हैं। ऐसी पेपर-सील के एक मुक्त छोर पर उस सील की मुद्रित क्रम संख्या रहेगी। **उस पेपर सील की क्रम संख्या का मिलान रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग-1 के मद-8 में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए पेपर सील लेखा में दी गई क्रम संख्या से किया जाएगा। मतगणना मेज पर उपस्थित गणन-अभिकर्त्ताओं को पेपर सील की ऐसी क्रम संख्या का मिलान करने और अपना यह समाधान कर लेने की अनुमति दी जाएगी कि यह वही पेपरसील है, जो मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर लगाई गई थी।**

यदि कंट्रोल यूनिट में वस्तुतः इस्तेमाल की गई पेपर सील की क्रम संख्या, पेपर सील लेखे में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दर्शाई गई क्रम संख्या से मेल नहीं खाती हो तो प्रथम संदेह हो सकता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसा भी संभव है कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पेपर सील की क्रम संख्या लिखने में कोई भूल कर दी गई है। ऐसी स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा लौटाई गई अव्यवहृत पेपर सील की क्रम संख्या की जाँच कर समस्या का समाधान करेगा। यदि वह पाता है कि यह एक लिपिकीय भूल है तो वह इस विसंगति को नजरअंदाज कर देगा।

5. दूसरी ओर, यदि निर्वाची पदाधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है अथवा यह वही वोटिंग मशीन नहीं है जो उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए आपूरित की गई थी, तो मशीन को अलग रखा जाएगा और उसमें दर्ज मतों की गणना नहीं की जाएगी। वह आयोग को मामले की रिपोर्ट निर्देश प्राप्त करने हेतु करेगा। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण मतगणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है, यदि किसी खास वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई हो। निर्वाची पदाधिकारी अन्य मतदान केन्द्रों की मतगणना की कार्रवाई जारी रखेगा।

अध्याय-7

इ.वी.एम. द्वारा मतों की गणना एवं परिणाम अभिनिश्चित करना

मतगणना प्रक्रिया

1. उस मतदान केन्द्र में, जहाँ इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग किया गया था, मतों का परिणाम जानने के लिए मतगणना स्थल पर केवल कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता है, बैलेट यूनिट की आवश्यकता नहीं है फिर भी मतदान केन्द्रों से प्राप्त बैलेट यूनिटों को कंट्रोल यूनिट के साथ मतदान केन्द्रवार स्टोरेज सेन्टर पर वैसा ही रखा जाना चाहिए जैसा मतदान केन्द्रों से प्राप्त मत पेटियों के मामले में किया जाता है। तथापि, जैसा ऊपर बताया

गया है, स्टोरेज के स्थान से इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन की केवल कंट्रोल यूनिट को ही गणना हाल में ले जाना चाहिए। बैलेट यूनिट को तभी गणना हाल में ले जाना है, जब किसी उम्मीदवार या उनके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा इसके निरीक्षण की माँग की गई हो।

2. यह जाँच करने के बाद कि सभी सीलें ठीक हैं तो उन सीलों को हटाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को इसके कैरेजिंग बक्से से बाहर निकालें। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट को गणना मेज पर रखें और उम्मीदवार सेट खण्ड और रजल्ट खण्ड की सीलों की भी जाँच करें और फिर रजल्ट खण्ड की बाहरी सील को हटा दें। उसके बाद रजल्ट खण्ड का कवर खोलें। रजल्ट खण्ड का कवर खोलने पर "रिजल्ट" और "प्रिंट" अथवा "रिजल्ट-I" और "रिजल्ट-II" बटनों के निचले हिस्से के छिद्र में से एक पेपर दिखाई देगा।

3. यह जाँच करने के पश्चात कि पेपर सीलें बरकरार है, पॉवर स्विच को **ऑन** की स्थिति में करते हुए कंट्रोल यूनिट का स्विच **ऑन** कर दें। तब ऑन लैम्प **हरा** चमकेगा।

4. **रिजल्ट या रिजल्ट–I** बटन के ऊपर की पेपर सील को छेद दें। **रिजल्ट या रिजल्ट–I** बटन को दबाएं।

5. **रिजल्ट या रिजल्ट–I** बटन को इस तरह दबाने पर, मतदान केन्द्र पर सभी अभ्यर्थियों के लिए रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या एवं अभ्यर्थी के क्रमसंख्यावार उन्हें प्राप्त मत **डिस्प्ले पैनल** में अपने आप दिखने लगेगा। यथा मान लें कि चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थी 5 हैं और मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की कुल संख्या 431 है तो प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत प्रदर्शन पट पर निम्नलिखित क्रम से प्रदर्शित होगा :-

NP	0001
CD	0005
TO	0431
01	0102
02	0078
03	0098
04	0125
05	0028

ऊपर क्रमशः प्रदर्शित अभ्यर्थीवार परिणाम गणन पर्यवेक्षक द्वारा **"रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा के भाग–2" गणना परिणाम में लिख लिया जाएगा।**

6. नियम 81(छ)(1) के प्रावधानों के अनुसार निविदत्त मतपत्र वाला कोई लिफाफा नहीं खोला जायेगा एवं वैसा कोई मतपत्र नहीं गिना जायेगा।

7. आवश्यकता होने पर रिटर्निंग आफीसर, उम्मीदवार और या उनके एजेन्टों द्वारा उपरोक्त परिणाम को लिखने के लिए **रिजल्ट** बटन को कई बार दबाया जा सकता है, ताकि अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ता उपर्युक्त परिणाम को लिख सकें।

8. निचले हिस्से में पॉवर स्विच को **ऑफ** स्थिति में करते हुए यूनिट को **ऑफ** कर दें। पावर पैक को हटाकर कंपार्टमेंट को बन्द कर दें। कन्ट्रोल यूनिट को दूसरे निर्वाचन में प्रयोग हेतु परिणाम से मुक्त कर दिया जायेगा।

9. कंट्रोल यूनिट को इसके कैरिंग बक्से में वापिस रख दें, जिसे बाद में बड़े स्टोरेज बक्से में रखा जा सकता है।

10. उसके बाद बैलेट यूनिटों एवं कंट्रोल यूनिटों में रखे हुए ऐसे सभी स्टोरेज बक्से सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथासमय जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर रखवा दिए जाएंगे।

11. मतगणना की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करायी जायेगी।

निदेशों का सार

1. कंट्रोल यूनिट कैरिंग बक्से की सील की जाँच करें, उसको खोलें और मतगणना मेज पर रखें।
2. यह जाँच करें कि सभी सीलें बरकरार हैं।
3. **रिजल्ट** खण्ड खोलें और यह जाँच करें कि **रिजल्ट** बटन पर सीलें बरकरार हैं और उन सीलों को उम्मीदवारों/एजेन्टों को दिखाएँ।
4. निचले हिस्से की सील खोले और कंट्रोल यूनिट का स्विच "**ऑन**" कर दें।
5. **रिजल्ट या रिजल्ट**–I बटन पर पेपर सील छेदकर रिजल्ट बटन को दबाएँ व और क्रमिक रूप से प्रदर्शित परिणाम को लिख लें।
6. पॉवर पैक हटाकर कंट्रोल यूनिट को इसके कैरिंग बक्से में डालें।

अध्याय – 8
रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा के 'भाग–2' को पूरा करना एवं अन्तिम परिणाम का संकलन

(क) कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन-पट पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत जैसे ही प्रदर्शित किए जाएँ गणन पर्यवेक्षक, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **"रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग–2 के मतगणना परिणाम"** में प्रत्येक उम्मीदवार से सम्बद्ध मतों की संख्या अलग-अलग दर्ज करेगा। वह रिकार्ड किए गए मतों का लेखा के उक्त भाग-2 में यह भी लिखेगा कि क्या उस भाग में दर्शाए गए मतों की कुल संख्या उस प्रपत्र के भाग-1 के मद-5 के सामने दर्शाए गए मतों की कुल संख्या से मेल खाती है अथवा दोनों कुल जोड़ के बीच कोई विसंगति पाई गई है।

(ख) यदि वह ऐसी कोई विसंगति पाए तो उसे निर्वाची पदाधिकारी के ध्यान में लाएगा। उक्त अध्याय-6 के अनुसार सील ठीक पाये जाने पर निर्वाची पदाधिकारी कन्ट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पट पर दर्शाये गये मतों को ही सही मानते हुए गणना की कार्रवाई पुरी करेंगे।

(ग) "रिकार्ड किए गए मतों का लेखा के भाग–2" को सभी दृष्टि से पूरा करने के पश्चात् गणन पर्यवेक्षक इस पर हस्ताक्षर करेगा। वह गणना–मेज पर उपस्थित अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ताओं से भी इस पर हस्ताक्षर करवाएगा। परिशिष्ट–IV द्रष्टव्य।

(घ) गणन पर्यवेक्षक द्वारा रिकार्ड किए गए मतों के भाग-2 को सम्यक रूप से भरने तथा उस पर हस्ताक्षर करने तथा अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ताओं से उस पर हस्ताक्षर करा लेने के पश्चात् तथा अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि इसे सभी दृष्टि से समुचित रूप से भरा लिया और पूरा कर लिया गया है, निर्वाची पदाधिकारी

प्रपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा एवं इसके आधार पर संलग्न प्रपत्र **परिशिष्ट–V** में अंतिम परिणाम का संकलन करेगा एवं इसकी घोषणा करेगा। **परिशिष्ट–IV** एवं **परिशिष्ट–V** की प्रविष्टियों का मिलान कर प्रेक्षक भी **परिशिष्ट–V** पर अपना हस्ताक्षर करेंगे।

अध्याय–9

परिणाम की घोषणा एवं इ.वी.एम. कन्ट्रोल यूनिट को डाटा मुक्त (फ्री) करना

1. रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग–2 एवं अंतिम परिणाम प्रपत्र को सील करना

कंट्रोल यूनिट में **रिकॉर्ड किए गए मतों का परिणाम अभ्यर्थीवार निश्चित करने तथा उन्हें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा के भाग–2 और अंतिम परिणाम प्रपत्र में प्रविष्ट करने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी भाग–2 एवं अंतिम परिणाम पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अंतिम परिणाम प्रपत्र पर प्रेक्षक भी संतुष्ट होकर अपना हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर उपरांत एक लिफाफे में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग–2 को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सील किया जाएगा। अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता चाहें तो अपनी सील भी लगा सकते हैं।** लिफाफे के उपर निम्नांकित प्रविष्टियां स्पष्ट होनी चाहिए:-

(1) जिला का नाम .....
(2) नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत का नाम .....
(3) वार्ड संख्या .....
(4) मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम .....

2. इ.वी.एम. के कंट्रोल यूनिट को फ्री कर देना

नियमावली के **नियम–85** के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि मतगणना समाप्त हो जाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को सीलबन्द नहीं किया जाएगा तथा उसे सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। मतगणना प्रक्रिया के दौरान ही कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों से संबंधित डेटा को मतदान केन्द्रवार "**रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा:भाग–2**" हेतु निर्धारित प्रपत्र में नोट किया जाएगा :-

इस प्रकार वार्ड के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए तैयार विवरण के अंत में मतगणना केंद्र में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकत्ताओं तथा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा तथा तत्पश्चात अंतिम परिणाम प्रपत्र के साथ इन्हें एक गॉज लिफाफे में बंद कर उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को आपूरित सिक्रेट सील से सीलबंद कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की अभिरक्षा में रख दिया जाएगा। एक वार्ड के सभी मतदान केन्द्रों के निर्वाचन परिणाम एक ही गॉज लिफाफे में सीलबन्द किये जायेंगे। **इस लिफाफे को किसी न्यायालय के आदेश से ही खोला जा सकेगा। इसमें किसी तरह की टेंपरिंग अथवा छेड़छाड़ किये जाने पर उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) पर स्थापित किया जाएगा। सीलबंद लिफाफे की अभिरक्षा एवं उसे विनष्ट करने की कार्रवाई नियम–89 के अधीन की जाएगी। आयोग द्वारा आपूरित सिक्रेट सील निर्वाचन परिणाम**

घोषित होने के 36 घंटे के अंदर सीलबन्द लिफाफे में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आयोग को निश्चित रूप से वापस कर दी जाऐंगी, अन्यथा संबंधित निर्वाची पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आयोग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा भाग–2 की तैयारी, निर्वाची पदाधिकारी/अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्त्ताओं द्वारा हस्ताक्षर प्राप्त करने एवं गॉज लिफाफे में सील करने की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाय एवं उक्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी से संबंधित कैसेट/सी.डी. भी सील बंद गॉज लिफाफे के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाय।

उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा कर लेने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को फ्री माना जाएगा तथा उसका उपयोग अन्य निर्वाचन के लिए किया जा सकेगा।

अध्याय–10

पुनर्गणना

सामान्यतः वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की पुनर्गणना का प्रश्न नहीं उठता है। मतदान मशीन द्वारा दर्ज सभी मत विधिमान्य मत हैं तथा इसकी विधिमान्यता के विषय में या अन्यथा कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अधिक से अधिक कुछ अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ता किसी खास मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम उस समय ठीक-ठीक नहीं लिख सके होंगे, जब कंट्रोल यूनिट ने वह सूचना प्रदर्शित की हो। यदि पुनः सत्यापन की आवश्यकता पड़े तो वैसा परिणाम बटन दबाकर किया जा सकता है, जिसके बाद उस मतदान केन्द्र का मतदान परिणाम उस कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन-पट पर पुनः प्रदर्शित हो जाएगा।

अध्याय–11

नए सिरे से मतदान की दशा में मतगणना स्थगित करना

(क) अगर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ किये जाने के संबंध में आयोग से निदेश की मांग की गयी हो तो वह मतगणना परिणाम घोषित करने के पूर्व आयोग के निदेश की प्रतीक्षा करेगा। जहाँ आयोग प्रभावित मतदान केन्द्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निदेश दे, वहां अन्य सभी मतदान केन्द्रों से सम्बद्ध मतगणना प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, गणना स्थगित कर दी जाएगी।

(ख) निर्वाचन के संचालन की देख-रेख के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं कि वे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी समय मतों की गणना रोकने अथवा परिणाम की घोषणा नहीं करने का निदेश दे सकते हैं, यदि उनकी राय में बहुत से मतदान केन्द्रों पर या मतगणना स्थलों पर बूथ कब्जा किया गया है अथवा मशीन पीठासीन पदाधिकारी की अभिरक्षा से अवैध रूप से ले ली गई हो अथवा संयोगवश या जानबूझकर उन्हें बर्बाद या क्षतिग्रस्त कर दिया गया है या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। **ऐसे मामलों में, सभी तात्त्विक परिस्थितियों तथा प्रेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग के**

निदेश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी इस हेतु बाध्य होगा कि ऐसी बूथ कब्जे आदि की घटना की जानकारी होने पर प्रेक्षक द्वारा संबंधित मतदान दल, पैट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट या अन्य पदाधिकारियों पर उत्तरदायित्त्व निर्धारण प्रक्रिया को सम्पादित करते हुए उसे सभी संभव सहयोग एवं जानकारियाँ उपलब्ध कराये। प्रेक्षक ऐसी जाँच में प्रत्येक बिन्दु से सन्तुष्ट होकर विस्तृत जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेकर आयोग के अगले आदेश की प्रतीक्षा करेगा।

अध्याय-12

लॉटरी निकालने की प्रक्रिया

मतों की गणना पूरी होने के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उसे एक अतिरिक्त मत पाया हुआ माना जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर दो अभ्यर्थियों को बराबर संख्या में अधिकतम 300-300 मत प्राप्त हुए हों तो जिसके पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उसे 300 + 1 = 301 मत प्राप्त हुआ, माना जायेगा। तदनुसार प्रपत्र (**परिशिष्ट-V**) में विधिमान्य मतों की कुल संख्या वाले कॉलम में प्रविष्टि की जायगी। निर्वाची पदाधिकारी तदनुकूल मतगणना का परिणाम घोषित करेंगे।

लॉटरी की प्रक्रिया निमनवत होगी :-

(i) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को **संलग्न प्रपत्र (परिशिष्ट-VI)** में सूचना देकर यह बतलाया जाएगा कि फलांफलां प्रत्याशियों को बराबर-बराबर मत (मतों की संख्या अंकित की जाएगी)प्राप्त होने के कारण लॉटरी द्वारा परिणाम निकालने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जा रही है। सूचना पत्र पर सभी उपस्थित प्रत्याशियों का हस्ताक्षर ले लिया जाएगा।

(ii) लॉटरी के लिए सफेद कागज की पर्ची का प्रयोग किया जाएगा। पर्ची के कागज का साईज ए-4 साईज के कागज का चौथाई हिस्सा (1/4 वां) होगा। प्रत्येक पर्ची समान साईज की होगी। साईज एवं कागज की क्वालिटी में तनिक भी अंतर नहीं होगा। पर्ची बिल्कुल सादी (blank) होगी तथा सादी पर्ची उपस्थित सभी प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिखला दी जाएगी, ताकि यह संदेह न हो कि पर्ची पर पहले से कुछ लिखा हुआ है। प्रत्येक पर्ची पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वयं प्रत्याशी का नाम काले रंग से स्केच पेन से लिखा जाएगा तथा प्रत्येक पर्ची पर निचले हिस्से में तिथि सहित अपना हस्ताक्षर किया जाएगा। जितने प्रत्याशियों के बीच लॉटरी निकाली जानी है, पर्ची की संख्या उतनी ही रखी जाएगी। अर्थात अगर दो प्रत्याशियों को समान संख्या में मत मिले हों, तो उन दोनों के बीच लॉटरी निकालने हेतु मात्र दो पर्चियों और अगर तीन प्रत्याशियों को समान मत मिले हों तो लॉटरी निकालने हेतु मात्र तीन पर्चियों का उपयोग किया जाएगा। दो प्रत्याशियों के मामले में एक पर्ची पर पहले प्रत्याशी का नाम एवं दूसरी पर्ची पर दूसरे प्रत्याशी का नाम निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। इसी प्रकार तीन प्रत्याशियों के मामले में तीन अलग-अलग पर्ची पर पहले, दूसरे एवं तीसरे प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा। पर्चियों में नाम लिखने के पश्चात निर्वाची

पदाधिकारी द्वारा सभी पर्चियां उपस्थित प्रत्याशियों को प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रत्येक पर्ची में अलग-अलग प्रत्याशी के नाम अंकित हैं, किसी एक प्रत्याशी का नाम दो या अधिक पर्चियों में अंकित नहीं किया गया है। पर्चियों का प्रदर्शन कर देने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक पर्ची को चार फोल्ड में मोड़कर वहाँ उपस्थित किसी ऐसे सरकारी कर्मी से जो उक्त लॉटरी की उक्त प्रक्रिया में भाग नहीं लिया हो को, उन पर्चियों को वहाँ विशेष रूप से रखे गए एक छोटे अपारदर्शी डिब्बे में रखने हेतु कहेगा। डिब्बे में पर्चियों को रखे जाने के पहले डिब्बा सभी प्रत्याशियों को दिखला दिया जाएगा कि वह पूर्णतः खाली है एवं उसमें पहले से कोई पर्ची आदि नहीं रखी हुई है। डिब्बे में पर्चियों को रख देने के पश्चात उस कर्मी द्वारा डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा।

(iii) लॉटरी के लिए पर्ची निकालने हेतु ऐसे सरकारी कर्मी का चयन किया जाएगा जो पर्ची बनाए जाने, उस पर नाम लिखे जाने, फोल्ड करने तथा डिब्बे में बंद किए जाने के समय वहाँ मौजूद नहीं रहा हो। इस कार्य हेतु निर्वाची पदाधिकारी अपने कार्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को भी नामित कर सकते हैं जिसने लॉटरी की उक्त प्रक्रिया में भाग नहीं लिया हो।

(iv) डिब्बे में पर्चियों के बंद हो जाने के पश्चात उस नामित व्यक्ति को अंदर बुलाया जाएगा तथा उसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कहा जाएगा कि वह डिब्बे को अच्छी तरह हिलाकर उसे खोले एवं उसमे से कोई एक पर्ची बाहर निकाले।

(v) नामित व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी एवं उपस्थित प्रत्याशियों (एवं यदि उस समय प्रेक्षक की उपस्थिति हों तो)के समक्ष डिब्बे में से कोई एक पर्ची बाहर निकालकर उसे खोलेगा, उसमें अंकित नाम को जोर से पढ़ेगा, ताकि सभी सुन लें तथा पर्ची को निर्वाची पदाधिकारी को सौंप देगा। निर्वाची पदाधिकारी उस पर्ची के नीचे निर्वाचित लिख कर तिथि एवं समय सहित पुनः अपना हस्ताक्षर करेगा, पूरा नाम एवं पदनाम लिखेगा तथा उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करते हुए निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

(vi) निर्वाचन परिणाम घोषित कर देने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी पर्चियों को एक लिफाफे में सीलबन्द कर निर्वाचन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

(vii) पर्ची बनाने से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित करने तक की **पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी तथा इसे अभिलिखित भी किया जाएगा। कार्यवाही के अंत में उस पर निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ लॉटरी निकालने वाले व्यक्ति तथा उपस्थित प्रत्याशियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।**

(viii) किसी भी स्थिति में लॉटरी निकालने का काम स्थगित नहीं किया जाएगा। **लॉटरी के परिणाम से व्यथित व्यक्ति/व्यक्तियों को दोबारा लॉटरी निकालने की माँग करने का अधिकार नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई अनुरोध फिर भी किया जाता है, तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मुखर आदेश पारित करते हुए उसे तुरंत लिखित रूप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

अध्याय–13
निर्वाचन परिणाम पत्र निर्गत करना

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-84 के अधीन निर्वाची पदाधिकारी मतों की गणना के समाप्त हो जाने के पश्चात् उस अभ्यर्थी को, जिन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, निर्वाचित घोषित करेगा। परिणाम की घोषणा के तुरन्त पश्चात निर्वाची पदाधिकारी उसे **प्रपत्र–25** में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा। **प्रपत्र–25 परिशिष्ट–VII पर द्रष्टव्य।**

—

भाग – 2

परिशिष्ट

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के संगत नियमों का उद्धरण

57. **गणन अभिकर्ता की नियुक्ति:–** (1) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उस अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है एवं यह नियुक्ति दो प्रतियों में **प्रपत्र–17** में की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दो प्रतियाँ गणन अभिकर्त्ता को देगा, जिसमें से वह एक अपने पास रखेगा तथा दूसरी प्रति मतगणना के लिए नियत तिथि को निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को पेश करेगा तथा नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा, एवं वह अधिकारी उस दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

58. **गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु:–**(1) किसी गणन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा विधिमान्य रूप से हस्ताक्षरित लिखित घोषणा से मतगणना शुरू होने के पहले किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकती है एवं ऐसी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी।

(2) अगर मतगणना पूर्ण होने के पहले गणन अभिकर्ता की मृत्यु हो जाती है, वहाँ अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियम 57 के उपनियम(1) के अधीन नए गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है।

79. **मतों की गणना की सूचना :–** राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अधीन निर्वाची पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद यथाशक्य शीघ्र मतों की गणना हेतु तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करेगा तथा उससे संबंधित सूचना लिखित रूप में सभी अभ्यर्थियों को देगा।

80. **मतगणना के समय जो व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं :–** (1) मतों की गणना के समय निर्वाची पदाधिकारी, मतों की गणना में अपनी सहायता के लिये वैसे व्यक्ति जिन्हें वह नियुक्त करे, प्रत्येक अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत एक प्रतिनिधि को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) वैसे किसी व्यक्ति को मतगणना में सहायता हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा जो अभ्यर्थी द्वारा अथवा उसकी तरफ से निर्वाचन से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए नियोजित किया गया है।

84. **परिणाम की घोषणा एवं निर्वाचन प्रमाण–पत्र दिया जाना :–** (1) मतों की गणना समाप्त हो जाने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी उस अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों को, जैसा मामला हो, जिन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त हुये हैं, निर्वाचित घोषित करेगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि द्वारा आवेदन दिये जाने पर परिणाम घोषणा के पूर्व, पुनर्गणना करायी जायेगी, किन्तु निर्वाची पदाधिकारी ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा, जो इसे तुच्छ प्रतीत हो तथा ऐसी अस्वीकृति का कारण भी उसी समय अभिलिखित करेगा।

(2) अगर मतों की गणना पूर्ण हो जाने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों को समान मत प्राप्त हुये हों एवं एक मत अधिक हो जाने से उनमें से कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जा सकता हो तब निर्वाची पदाधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित रिति से उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेगा, तथा जिस आभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया मानकर कार्रवाई करेगा।

(3) **निर्वाचन प्रमाण–पत्र** – परिणाम की घोषणा के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी **प्रपत्र–25** में निर्वाचन प्रमाण-पत्र देगा।

85. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराये जाने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :–** मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किये जाने की स्थिति में मतदान, मतों की रिकॉर्डिंग एवं गणना, मशीन को सीलबन्द करना एवं परिणाम की घोषणा आदि हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।

परन्तु, जहाँ तक व्यवहारिक हो, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जायेगा वहाँ कन्ट्रोल यूनिट में विभिन्न अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की एक सारणी बना कर सभी डेटा की हार्ड कॉपी बना ली जायेगी तथा उस कॉपी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेकर एक गॉज लिफाफे में रख दिया जायेगा तथा उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सेक्रेट सील से सीलबन्द कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा। उक्त सीलबन्द लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई **नियम 89** के अध्यधीन की जायेगी। आयोग द्वार आपूरित सेक्रट सील निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 36 घंटे के अन्दर आयोग को निश्चित रूप से वापस कर दी जायेगी।

86. **परिणाम का प्रतिवेदन :–** (1) निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को परिणाम का प्रतिवेदन भेजेगा। निर्वाची पदाधिकारी परिणाम से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर उसे प्रमाणित करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) अभ्यर्थियों के नाम जिन्हें विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं;

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या;

(3) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम;

(4) प्रतिक्षेपित मतों की संख्या;

(5) निविदत्त मतों की संख्या।

(2) निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से लिखित में अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे प्रतिवेदन अथवा उसका उद्धरण की प्रति लेने की अनुमति देगा।

89. **पैकेटों का विनष्टीकरण :–** (1) उपर्युक्त पैकेट एक साल की अवधि तक रखे जायेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 503 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

(2) निर्वाचन से संबंधित अन्य कागजात संबंधित वार्ड के लिये अगले सामान्य चुनाव तक सुरक्षित रखे जायेंगे एवं राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 503 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

प्रपत्र–17

(देखे नियम-54)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

मैं (अभ्यर्थी का नाम)....., जो ..... नगरपालिका के वार्ड संख्या ..... का अभ्यर्थी हूँ/मैं, (निर्वाचन अभिकर्ता का नाम) ..... जो श्री /सुश्री/श्रीमती ..... जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं , का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ,

एतद् द्वारा श्री /सुश्री/श्रीमती ..... पता ..... को मतगणना के दौरान ..... स्थान पर गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है।

स्थान : .....

तारीख : .....

समय : अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ। घोषणा करता हूँ कि मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है।

स्थान .....

तारीख .....

समय ..... गणन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(गणन अभिकर्ता की घोषणा जिसपर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।)

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान .....

तारीख .....

समय ..... गणन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया (या अंगूठा लगाया गया)

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पदनाम :

प्रपत्र–17 (क)
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012

मतगणना अभिकर्त्ता पहचान पत्र

फोटोग्राफ

श्री/ श्रीमती/ सुश्री.....

पिता .....

पता –,..... *नगर

पंचायत/ नगर परिषद/ नगर निगम .....

के वार्ड संख्या ..... से पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री/ श्रीमती/ सुश्री ..... के मतगणना अभिकर्ता हैं।

अभ्यर्थी /निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

स्थान :
दिनांक :
समय :

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम –
पदनाम की मुहर

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग – 1

नगरपालिका का नाम ..... वार्ड संख्या - .....

मतदान केन्द्र की संख्या - ..... मतदान केन्द्र का नाम .....

मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या -

(क) मतदान यूनिट संख्या (Ballot Unit No.) .....

(ख) नियंत्रण यूनिट संख्या (Control Unit No.) .....

1. मतदान केन्द्र के लिए निर्धारित निर्वाचकों की कुल संख्या .....
2. मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या .....
3. मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या.....
4. मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या.....
5. वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या.....
6. (क) क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड न करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा-मद 4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या उसमें कोई अन्तर पाया गया है।

   (ख) अगर कोई अन्तर है, तो उसकी संख्या - .....
7. (क) निविदत्त मतपत्र के रूप में प्रयोग के लिए प्राप्त
   मतपत्रों की संख्या ..... क्रम संख्या ..... से ..... तक

   (ख) उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए .....

   (ग) निविदत्त मत पत्रों की संख्या ..... क्रम संख्या..... से ..... तक

   (घ) प्रयोग के पश्चात बचे मतपत्रों की संख्या ..... क्रम संख्या..... से ..... तक
8. आपूरित पेपर सीलों का लेखा

   (क) आपूरित पेपर सील की कुल संख्या –

   (ख) इनकी क्रम संख्या ..... से ..... तक

   (ग) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या .....

   (घ) रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों
   की संख्या { मद (क) में से मद (ग) घटाईए }

   (ङ) क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई हो .....

मतदान अभिकर्त्ता/ अभिकर्त्ताओं का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम (संक्षिप्त नाम स्वीकार नहीं करें, जैसे जय प्रकाश शर्मा के स्थान पर जे.पी.शर्मा)

1. ..... 2. .....
3. ..... 4. .....
5. ..... 6. .....
7. ..... 8. .....
9. ..... 10. .....
11. ..... 12. .....

तिथि .....

स्थान .....

समय .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग – 2
मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या	
1. 2. 3. 4. 5. 6.			
योग			

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग-1 में मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल खाती हैं या उनके दोनों योगों में कोई अंतर दर्शित होता है।

स्थान .....
तिथि .....
समय .....

गणन सुपरवाईजर का पूरा हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पदनाम :

उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता द्वारा निम्न प्रपत्र में हस्ताक्षर किया जाएगा एवं पूरा नाम लिखा जाएगा, संक्षिप्त नहीं :-

क्रम संख्या	अभ्यर्थी	निर्वाचन अभिकर्ता	गणन अभिकर्ता
1. 2. 3. 4. 5. 6.			
योग			

"रिटर्निंग ऑफिसर का हस्ताक्षर"
पूरा नाम :
पदनाम :

परिशिष्ट–V

अंतिम परिणाम प्रपत्र

नगरनिकाय का नाम ..... वार्ड की संख्या .....

क्रमांक	मतदान केन्द्र संख्या → / अभ्यर्थी का नाम	विधिमान्य कुल मतों की संख्या										कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
.												
.												
.												

.....

स्थान :

तारीख :

समय :

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

मुहर

.....

प्रेक्षक का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

परिशिष्ट–VI

सूचना

जिला ....., नगरनिकाय .....

वार्ड संख्या ..... के सदस्य के लिए निर्वाचन में श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (अभ्यर्थी क्रमांक .....) एवं श्री/श्रीमती/सुश्री..... (अभ्यर्थी क्रमांक .....) को बराबर-बराबर ..... मत प्राप्त हुए हैं। बराबर मत प्राप्त होने के कारण बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 84 के प्रावधानों के अधीन परिणाम का विनिश्चय लॉटरी द्वारा करने हेतु कार्रवाई तुरंत आरंभ की जा रही है। कृपया लॉटरी निकालने की प्रक्रिया के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें।

मतगणना का स्थान :
दिनांक .....
समय .....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पदनाम :

उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर

प्रपत्र–25

[देखे नियम-84(3) तथा 96(4)]

निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं ..... निर्वाची पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को श्री/सुश्री/श्रीमती .....जो श्री/श्रीमती ..... के/की पुत्र/पुत्री/ पत्नी हैं और जो .... के/की निवासी हैं, को पार्षद्/मुख्य पार्षद् /उप मुख्य पार्षद् के रूप में वार्ड संख्या ...../ नगरपालिका.....से, जो ..... के लिए आरक्षित/अनारक्षित है, सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया है।

स्थान .....
तारीख.....
समय .....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(पदनाम की मुहर)
पूरा नाम :